

STOP CORONA : Wash your Hands, Wear Mask, Maintain Social Distancing

	<p>DELHI JAL BOARD: GOVT. OF NCT OF DELHI OFFICE OF DIRECTOR (A & P) VARUNALAYA PHASE-II KAROL BAGH, NEW DELHI-110005 PHONE:- 011-23544794 E-mail:- djbdirector@gmail.com</p>	
---	---	---

No. G-4(vi)/DJB/Dir.(A&P)/2021/ 16

Dated : 28/07/2021

To

Shri Neeraj Aggarwal,
Dy. Secretary, (Question Branch),
Delhi Vidhan Sabha Secretariat,
Old Secretariat, Delhi – 110054.

**Subject:- Vidhan Sabha Unstarred Question No. 120 due for 30.07.2021
asked by Shri Jitender Mahajan, MLA.**

Sir,

Please refer to your letter No. F-11(B-1)VI/2015-20/VSS/Ques.Branch/6046 dated 22.07.2021 on the above quoted subject.

In this connection I am enclosing herewith the reply of the aforementioned Vidhan Sabha Question in so far as the Delhi Jal Board is concerned.

This issues with the approval of the competent authority.

Encl: As above.



(Bansh Raj)
Director (Admn.& Personnel)

निदेशक (प्रशासन एवं कार्मिक)
Director (A&P)
दिल्ली जल बोर्ड
Delhi Jal Board

विभाग का नाम :- दिल्ली जल बोर्ड
विभाग का पता :- निदेशक (प्रशासनिक एवं कार्मिक)
करोल बाग, नई दिल्ली

अतारांकित प्रश्न संख्या :- 120
दिनांक :- 30.07.2021
प्रश्नकर्ता का नाम :- श्री जितेन्द्र महाजन, विधायक
क्या माननीय जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

क्र.	प्रश्न	उत्तर
क)	वर्ष 2014 में कितना पीने के पानी का उत्पादन हो रहा था, कितने किलोमीटर पानी की लाइन थी और कितने सीवरेज प्लांट थे;	वर्ष 2014 में 808.90 एमजीडी पानी का उत्पादन हो रहा था । वर्ष 2014 में 12998 किलोमीटर पानी की लाइन थी और 28 सीवरेज प्लांट थे।
ख)	जून 2021 में कितने पीने के पानी का उत्पादन हो रहा था और कितने किलोमीटर पानी की लाइन थी और कितने सीवरेज प्लांट हैं; और	जून 2021 में 935 एमजीडी पीने के पानी का उत्पादन हो रहा था और 15007 किलोमीटर पानी की लाइन थी और 35 सीवरेज प्लांट हैं।
ग)	पिछले पांच वर्षों में जल संचय के लिए दिल्ली सरकार ने कितने वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाए हैं तथा भूमिगत जल संचय को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रावधान किए जा रहे हैं?	दिल्ली जल बोर्ड ने पिछले पाँच वर्षों में अपनी 322 इमारतों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाए हैं । भूमिगत जल संचय को बढ़ाने के लिए निम्न प्रावधान किये हैं :- 1) आमजन की सुविधा के लिए दिल्ली के सभी जिलों में 'जल शक्ति केन्द्र' बनाए गए हैं जहाँ पर तकनीकी सुविधा एवं अन्य जानकारियाँ प्रदान की जाती हैं । 2) रेन वाटर हार्वेस्टिंग सेल बनाया गया है जहाँ पर आमजन को तकनीकी सहायता एवं अन्य जानकारियाँ उपलब्ध कराई जाती हैं। 3) दिल्ली जल बोर्ड ने अधिकाधिक जानकारी, जागरूकता एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग सलाहकार नियुक्त किये हैं जिनकी जानकारी वेब साईट पर उपलब्ध है । 4) जल संचय प्रणाली लगाने पर पानी/सीवर के मासिक बिलों पर 10 प्रतिशत की छूट एवं नाले लगाने पर 50 प्रतिशत जुर्माने का प्रावधान किया गया है। 5) आमजन को रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने पर वित्तीय सहायता (अधिकतम रु 50,000/-) उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है । 6) शहरी विकास मंत्रालय द्वारा दिनांक 28.07.2001 को जारी की गई नोटिफिकेशन के अनुसार दिल्ली में 100 वर्गमीटर या उससे अधिक आकार वाले प्लाट की इमारतों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगाना अनिवार्य कर दिया गया है ।


निदेशक (प्रशासन एवं कार्मिक)

निदेशक (प्रशासन एवं कार्मिक)

Director (A&P)

F. 403

Central Board